

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/264

प्रार्थी मनमोहन सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति बैस निवासी मकान नं0 2 सैकण्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता हरबंस सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति बैस निवासी 2-सैकण्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ने दिनांक 26.10.2004 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 31.08.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 26.10.2004 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान बाज सिंह पुत्र भगवान सिंह एवं गुरजीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय